L. A. BILL No. XVII OF 2022.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १७ सन् २०२२।

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनो के लिये, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, **इसलिए,** महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२, ४ अगस्त, २०२२ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन १९६२ का महा. ५।

सन २०२२ का महा. अध्या. क्र. ८।

(शा.म.मु.) एचबी ८३५—१(५०—८-२०२२)

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए।

(२) यह, ४ अगस्त २०२२ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६२ का महा. ५। सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ९ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ९ की, उप-धारा (१) के खण्ड (क) में, " पचासी से अधिक न हो और पचपन से कम न हो " शब्दों के स्थान में, " पचहत्तर से अधिक न हो और पचास से कम न हो " शब्द रखे जायेंगे।

प्रक्रिया रद्द करना। सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ७।

३. मूल अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या जारी अधिसूचना या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा,–

(एक) जिलों के निर्वाचक विभागों में विभाजित करने और जिलों से निर्वाचित किये जानेवाले पार्षदों की संख्या निर्धारित करने, या

(दो) निर्वाचक विभागों को निर्वाचक-गण में विभाजित करने; या

(तीन) जिला परिषद और पंचायत समिति में पार्षदों के सीटों के आरक्षण की, प्रक्रिया शुरु की है या पूरी की गई है वहाँ ऐसी प्रक्रिया रद्द की गयी समझी जायेगी और, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नये सिरे से की जायेगी।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

४. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा जैसा अवसर उद्भूत हो, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ना हो, ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि अवसित होने के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ८ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

५. (१) महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ८।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोशित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगा।

उद्देश्यों और करणों का व्यक्तव्य ।

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (सन् १९६२ का महा. ५) की धारा ९ की, उप-धारा (१), **जिला परिषद** के गठन के लिये उपबंध करती है। जिला परिषद, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अवधारित जिले में सीधे निर्वाचक विभागों द्वारा चुने गये पार्षदों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगी, तथापि यह कि, **जिला परिषद** के प्रादेशिक क्षेत्रों की जनसंख्या और ऐसे **जिला परिषद** में निर्वाचन द्वारा भरी जानेवाली सीटों की संख्या का अनुपात जहाँ तक साध्य हो, संपूर्ण राज्य में समान होगा।

२. महाराष्ट्र **जिला परिषद** और पंचायत समिति (संशोधन) अधिनियम, २०२१ (सन् २०२२ का महा. १८) द्वारा उक्त धारा ९ की उप-धारा (१) में संशोधन किया गया था जिसमें यह उपबंध किया गया है कि, **जिला परिषद** जिले में सीधे निर्वाचक विभागों द्वारा चुने गये पार्षदों की संख्या पचासी से अधिक नहीं होगी और पचपन से कम नहीं होगी। जनसंख्या की संभाव्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा जिला परिषद के पार्षदों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या में वृद्धि की गयी है।

३. राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों का संलग्न नगर निगम क्षेत्रों में समावेश करने के कारण और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में रूपांतरण से ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक जनसंख्या निरंतर घटी है। इसलिए, २०२१ की जनगणना पूर्ण होने के पश्चात्, जनसंख्या के आकडों के आधार पर पार्षदों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट करना इष्टकर समझा गया था।

४. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व, उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट पार्षदों की संख्या पुनःस्थापित करने के लिये, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की धारा ९ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया था।

५. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (सन् २०२२ का महा. अध्यादेश क्र. ८) ४ अगस्त २०२२ को प्रख्यापित हुआ था ।

६. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित १२ अगस्त, २०२२।

एकनाथ संभाजी शिंदे,
मुख्यमंत्री ।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधाय शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हैं, अर्थात् :-

खंड ४. इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्‌भूत किसी कठिनाई का निराकरण करने के लिये आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधान शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरालिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरुप का है।

(यथार्थ अनुवाद)
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १६ अगस्त, २०२२।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई